न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः– अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 04 / 2021 प्रा.पत्र रसद

जी.सी.एम.एस. नंबरः 2021 / 115

सरकार जरिये थानाधिकारी, सवीना, उदयपुर

..........................प्रार्थी

बनाम

1. श्री कैलाश वैष्णव पुत्र श्री बद्रीदास वैष्णव उम्र 28 साल निवासी–मंगलवाड, गांधी बाग थाना मंगलवाड जिला चितौडगढ
2. श्री अभय सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह जाति सिसोदिया राजपूत उम्र 24 साल निवासी–पदमपुरा थाना कुराबड जिला उदयपुर
3. श्री पारस पिता गणेशलाल जैन उम्र 70 वर्ष पेशा व्यापार निवासी कानपुर थाना प्रतापनगर , उदयपुर

.....................अप्रार्थीगण

1. प्रार्थी श्री गणेश लाल जैन पिता देवीलाल जैन निवासी–300, पुष्करणों का मौहल्ला, कानुपर, उदयपुर, उदयपुर

.....................प्रार्थी वाहन मालिक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 सीआरपीसी में जब्त वाहन एव माल रिलिज किये जाने बाबत्

उपस्थित– श्री मनीष भटनागर, पैरोकार सरकार
श्री सुखराम डिडेल, अधिवक्ता विपक्षी

(मुहर: जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर)

निर्णय

दिनांक–9/12/24

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है थानाधिकारी पुलिस थाना, सवीना द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नेशनल हाइवे नंबर 8 एकलिंगपुरा पर स्थित नाकोडा ट्रेडर्स पर टेंकर खडा था। जिसमें से अवैध पैट्रोलियम को टैंकर से ड्रमों मे भरा जा रहा था। जिस पर थानाधिकारी मय हैड कानि. सुनिल कुमार 811, हैड कानि. वसनाराम नंबर 141, हैड कानि. जितेन्द्र कुमार 451, कानि लालूराम नंबर 2459 मय सरकारी वाहन थाने से रवाना होकर एकलिंगपुरा चौराहा पर स्थित नाकोड़ा ट्रेडर्स पर पहूंचे जहां पर टेंकर नंबर आर.जे. 27 जी.बी. 0606 से पाईप द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ को टैम्पों में

जिला कलक्टर
उदयपुर

रखे ड्रमों को भरा जा रहा था। जिसके बारे में उपस्थित व्यक्ति से नाम पूछा तो अपना नाम कैलाश वैष्णव बताया। कागजात के बारे में पूछा तो कोई वैध कागज नहीं होना बताया। टैंकर चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम अभय सिंह बताया व पैट्रोलियम पदार्थ मुम्बई से लाया बताया। मामला ई.सी. एक्ट के अपराध का पाया जाने से उक्त टैंकर, लौडिंग टैम्पों नंबर आर.जे. 27 जी.बी. 7875 में भरे हुये ड्रमों सहित कैलाश वैष्णव व चालक अभयसिंह को थाने लाया गया। थानाधिकारी की निशादेही से थाना परिसर के बाहर खडे टेंकर नंबर आर.जे. 27 जी.बी. 0606 व लोडिंग टैम्पों नंबर आर.जे. 27 जी.बी. 7875 व टैम्पों में रखे ड्रमों का भौतिक सत्यापन किया एवं डिटेनशुदा टैंकर के चालक का नाम पुछा तो उसने अपना नाम अभयसिंह पुत्र प्रतापसिंह बताया व उक्त टैंकर नाकोडा ट्रेडर्स के मालिक श्री पारस जैन निवासी कानपुर का होना बताया। टैंकर में डीजल भरा होकर उक्त डीजल प्रकृति पेट्रोकेम लिमिटेड कुपरी वाडा जिला पालघर, महाराष्ट्र से भर कर लाना बताया व नाकोडा ट्रेडर्स पर खाली करने हेतु आना बताया। टैंकर चालक को उक्त डीजल लाने के संबंध में अपने पास कोई दस्तावेज कोई दस्तावेज हो तो पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। डिटेनशुदा नाकोडा ट्रेडर्स के नौकर को उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कैलाश वैष्णव बताया। उक्त दुकान पर मालिक पारस जैन के द्वारा मुम्बई की तरफ से डीजल मंगवाकर उदयपुर के आस–पास के क्षेत्रों में मार्बल कारखानों, नमकीन बनाने के कारखानों, मार्बल माईन्स आदि स्थानों पर बेचना बताया। लोडिंग टैम्पों नंबर आर.जे. 27 जी.बी. 7875 के बारे में पूछने पर उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया। मगर उक्त टैम्पों में रखे 6 ड्रमों से अक्सर उक्त दुकान से डीजल सप्लाई करना बताया। टैंकर व ड्रमों में भरे तरल पदार्थ की वास्तविक जानकारी के लिए एच.पी.सी.एल. कम्पनी से प्रतिनिधी को तलब करने पर श्री गौरव जैन एरिया सैल्स मैनेजर द्वारा टैंकर व लोडिंग टैम्पों में रखे ड्रमों में भरे पदार्थ को देखकर व सुंघ कर उक्त पदार्थ बायोडिजल पैट्रोलियम पदार्थ होना बताया। बायोडिजल पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व परिवहन व उत्पादन व क्रय–विक्रय हेतु नियमानुसार अनुज्ञापत्र की आवश्यकता होना बताया। उक्त टैंकर के चालक व नाकोडा ट्रेडर्स के नोकर द्वारा उक्त तरल पदार्थ बायो डीजल बिना वैध अनुज्ञापत्र के अपने कब्जे में रखना बेचना पाया गया। उक्त दोनों का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उनके कब्जे से उक्त टैंकर मय बायोडिजल व लोडिंग टैम्पों में रखे हुए बायोडिजल से भरे हुए 6 ड्रमों एवं बायोडिजल निकालने हेतु उपयोग में लिए गये पाईप व टेंकर में रखे टेंकर से संबंधित फाईल पैड को बतोर वजह सबूत किया जाना अपेक्षित होने से स्वतंत्र मौतबीरान की तलबी हेतु हैड कानि वसनाराम को लिखित में तहरीर देकर भेजा गया जिसने कुछ समय बाद वापसी पर स्वतंत्र मौतबीर उपलब्ध नहीं होने बाबत् लिखित में जवाब देने पर उपस्थित

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर
प्र.सं.04/2021प्रा.पत्र रसद
सरकार बनाम कैलाश वैष्णव व अन्य
जी.सी.एम.एस. नंबर: 2021/115

जाप्ते में से श्री वसनाराम हैड कानि 141 व सुनील कुमार हैड कानि नंबर 811 को मौतबीर मामूर किया जाकर उक्त टैंकर मय बायोडिजल व लोडिंग टैम्पों में रखे हुए बायोडिजल से भरे हुए 6 ड्रमों एवं बायोडिजल निकालने हेतु उपयोग में लिए गये पाईप व टेंकर में रखे टेंकर से संबंधित फाईल पैड को बतोर वजह सबूत किया उक्त टैंकर मय बायोडिजल व लोडिंग टैम्पों में रखे हुए बायोडिजल से भरे हुए 6 ड्रमों एवं बायोडिजल निकालने हेतु उपयोग में लिए गये पाईप व टेंकर में रखे टेंकर से संबंधित फाईल पैड को बतोर वजह सबूत किया जाकर फर्द जब्ती अलग से मुर्तिब की गई। जब्तशुदा टेंकर के बायोडिजल से भरे हुए चारों खण्ड/कम्पार्ट में से प्रत्येक खण्ड/कम्पार्ट में से रासायनिक परीक्षक हेतु एच.पी.सी.एल. कम्पनी से मंगवाये हुए सैम्पल लेने के बॉक्स के अन्दर रखे हुए एल्युमिनियम के बॉक्स में एक–एक लीटर बायोडिजल निकाला जाकर प्रत्येक बॉक्स को कम्पनी की सील से सील कर उक्त सीलशुदा बॉक्स को लकड़ी के बॉक्स में रख कम्पनी की सील से सीलचिट किया जाकर प्रत्येक पर मार्क A B C D अंकित किया गया। इसी प्रकार जब्तशुदा टेंकर के बायोडिजल से भरे हुए चारों खण्ड/कम्पार्ट में से प्रत्येक खण्ड/कम्पार्ट में से कन्ट्रोल सैम्पल हेतु एच.पी.सी.एल. कम्पनी से मंगवाये हुए सैम्पल लेने के बॉक्स के अन्दर रखे हुए एल्युमिनियम के बॉक्स में एक–एक लीटर बायोडिजल निकाला जाकर प्रत्येक बॉक्स को कम्पनी की सील से सील कर उक्त सीलशुदा बॉक्स को लकड़ी के बॉक्स में रख कम्पनी की सील से सीलचिट किया जाकर प्रत्येक पर मार्क A-1, B-2, C-3, D-4 अंकित किया गया। जब्तशुदा लोडिंग टैम्पों में रखे कुल 6 ड्रमों में से प्रत्येक ड्रम में से थोडा–थोडा बायोडिजल निकाल कर एच.पी.सी.एल. कम्पनी से मंगवाये हुए सैम्पल लेने के बॉक्स के अन्दर रखे हुए एल्युमिनियम के बॉक्स में एक लीटर बायोडिजल निकाला जाकर बॉक्स को कम्पनी की सील से सील कर उक्त सीलशुदा बॉक्स को लकड़ी के बॉक्स में रख कम्पनी की सील से सीलचिट किया जाकर मार्क E अंकित किया गया। इसी प्रकार उक्त 6 ड्रमों में से बायोडिजल कन्ट्रोल सैम्पल हेतु निकाल कर एच.पी.सी.एल. कम्पनी से मंगवाये हुए सैम्पल लेने के बॉक्स के अन्दर रखे हुए एल्युमिनियम के बॉक्स में एक लीटर बायोडिजल निकाला जाकर बॉक्स को कम्पनी की सील से सील कर उक्त सीलशुदा बॉक्स को लकड़ी के बॉक्स में रख कम्पनी की सील से सीलचिट किया जाकर मार्क E-1 अंकित किया गया। जब्तशुदा पाईप को एक प्लास्टिक के कट्टे में रख कर चिट बंद किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान एवं उपलब्ध साक्ष्यों से मुल्जिमान के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित होता है। प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर आर.जे. 27 जी.बी. 0606 जिसमें अवैध पैट्रोलियम पदार्थ बायोडिजल 20,000 लीर भरा हुआ एवं लोडिंग टैम्पों आर.जे. 27 जीबी 7875 जिसमें 6 ड्रम 220 लीटर क्षमता के बायोडिजल से भरे हुए है का निरस्तारण करने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी वाहन मालिक श्री गणेशलाल जैन पिता श्री देवीलाल जैन जरिये अधिकृत पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर पारस जैन पिता गणेशलाल जैन निवासी–300 पुष्करणों को मौहल्ला, कानपुर द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरा एक वाहन अशोक लिलेण्ड टैंकर जिसके पंजीयन संख्या आर.जे. 27 जी.बी. 0606 है उक्त वाहन मय 20,000 लीटर स्पेन्डल ऑयल अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस थाना सविना, उदयपुर की तहरीर में करीबन ढाई वर्षो से चला आ रहा है। उक्त वाहन थाने में पड़ा रहा तो वाहन एवं उसमें रखा 20 हजार लीटर स्पेन्डल ऑयल के खराब होने का पूर्ण अंदेशा है एवं उक्त प्रकरण में उक्त वाहन को अब कोई आवश्यकता नही है। उक्त वाहन उचित सुपूर्दगी नामे पर प्रार्थी को दिलाया जाना आवश्यक है। अतः उक्त वाहन अशोक लिलेण्ड टैंकर जिसके पंजीयन संख्या आर.जे. 27 जी.बी. 0606 मय 20 हजार लीटर स्पेन्डल ऑयल को रिलीज कर प्रार्थी को सुपूर्द कराने का आदेश पारित कराया जावे।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि दिनांक 21.10.2020 को श्री राजीव जोशी पुलिस उप अधीक्षक वृत नगर पूर्व उदयपुर तथा थानाधिकारी सवीना को प्राप्त सूचना पर एनएच 8 एकलिंगपुरा पर नाकोड़ा ट्रेडर्स पर टेंकर खड़ा पाया गया। टैंकर नंबर आर. जे. 27 ज़ी.बी. 0606 से पाईप द्वारा अवैध पेट्रोलियम टेंपों में रखे ड्रमों में भरा जा रहा था। मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम कैलाश वैष्णव बताया तथा मौके पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। टैंकर चालक ने अपना नाम अभयसिंह बताया तथा पेट्रोलियम पदार्थ मुम्बई से लाना बताया। उक्त टेंकर नाकोड़ा ट्रेडर्स के श्री पारस जैन को होना बताया। मौके पर एचपीसीएल के सेल्स ऑफिसर श्री गौरव जैन को बुलाया गया उनके द्वारा उक्त पदार्थ को बायो डिजल होना बताया। बाद अनुसंधान पुलिस थाना सविना के पत्र क्रमांक 3043 दिनांक 30.05.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि स्नेहक तेल एवं प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 1987 एवं मोटर स्पिरिट उच्च वेग डीजल(संदाय) वितरण विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खंड 3 के उपखंड 5 का उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 वी 285, 379 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर चालानी आदेश प्राप्त किया गया। एफएसएल रिपोर्ट में उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को एचएसडी या बायो डिजल नहीं होना बताया गया है। एफएसएल रिपोर्ट में पेट्रोलियम पदार्थ का फ्लेश पोइन्ट दर्शित नहीं है, जिससे यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि उक्त उत्पाद कौनसे पेट्रोलियम क्लास से संबंधित है। अप्रार्थी उक्त प्रकरण में यह सिद्ध नहीं कर पाया हे कि उक्त पेट्रोलियम पदार्थ वास्तव में बिल में दर्शित पेट्रोलियम पदार्थ ही है ना ही बिल के अतिरिक्त

जिला कलक्टर
उदयपुर

कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त पेट्रोलियम पदार्थ बिल एवं एफएसएल रिपोर्ट के अनुरूप है। मौके पर श्री कैलाश वैष्णव तथा अन्य उपस्थित ने बताया कि उक्त पेट्रोलियम पदार्थ मुम्बई की तरफ से मंगवाकर उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में मार्बल कारखानों, नमकीन कारखानों, मार्बल माइन्स में बेचना बताया जबकि बिल में केवल इंडस्ट्रियल हेतु लिखा गया है। मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खंड 3 के उपखंड 5 में स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य ईंधन से भिन्न ऐसा कोई उत्पाद या उसका मिश्रण, किसी रूप में, किसी नाम, ब्राण्ड या नाम पद्धति के अधीन विक्रय या विक्रय करार नहीं करेगा जो स्फूलिंग प्रज्वलन इंजनों या संपीडन प्रज्वलन इंजनों वाले किसी प्रकार से मोटरगाडी यानों ईंधन के रूप में प्रयोग किय जा सकता है या उसके लिए आशयित है। 2005 के खंड 3 के उपखंड 6 में स्पष्ट है कि कोई व्यवहारी, परिवाहक, उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रिति में कोई भी एक या अधिक अनाचार नहीं करेगा। विपक्षीगण का उक्त कृत्य स्नेहक तेल एवं ग्रीस प्रसंस्करण पदार्थ व वितरण का विनियमन आदेश 1987 व मोटर स्प्रीट उच्च वेग डीजल (संधाय) वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण 2005 के खण्ड 3 का उपखण्ड 5 का उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अधीन अपराध है।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 3 का टेंकर आर.जे. 27 जी.बी. 0606 व उसमें भरे हुए स्पेण्डल ऑयल जो कि उद्योगो में काम आने वाला पदार्थ है जिसे पुलिस थाना सवीना द्वारा दिनांक 22.10.2020 को जब्त किया गया। विपक्षी संख्या 3 उद्योगो में काम आने वाले पदार्थ जैसे स्पेण्डल ऑयल आदि के क्रय विक्रय करने का कार्य नाकोड़ा ट्रेडर्स नाम फर्म से करता है। उक्त फर्म एक प्रोपराईटरशीप फर्म है, उक्त फर्म वाणिज्यिक एवं जी.एस.टी. विभाग में पंजीकृत है, इसके अतिरिक्त औद्योगिक पदार्थ के व्यापार के लिए डी.एस.ओ. और विस्फोटक विभाग से लाईसेंस की आवश्यकता होती है। विपक्षी संख्या 3 उद्योगों में काम आने वाले पदार्थ को बिल बिल्टी, ई वे बिल के माध्यम से क्रय करता है एवं सभी बिल पर जी.एस.टी. टैक्स अदा करता है। विपक्षी की फर्म से टेंकर आर.जे. 27 जी.बी. 0606 में भरे हुए 20,000 लीटर स्पेण्डल ऑयल को पुलिस थाना सवीना द्वारा सपेण्डल ऑयल को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मानते हुए जब्त किया गया। जबकि धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उन्हीं पदार्थ/वस्तु को जब्त जा सकता है जो धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम

जिला कलक्टर
उदयपुर

के तहत आती है। जब्तशुदा स्पेण्डल ऑयल उद्योगों में काम आने वाला पदार्थ है जिस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। मौके पर एच.पी.सी.एल. कंपनी के अधिकारियों को बुलाया गया तो उन्होंने डीजल, पेट्रोल आदि नहीं होना बताया, परन्तु पुलिस थाना सवीना द्वारा उक्त स्पेण्डल ऑयल को बायो डीजल होना मानकर उक्त प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी ने किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के किस आदेश से किसी खण्ड या क्लॉज की अवहेलना विपक्षीगण द्वारा की गई ऐसा परिवाद पर कहीं पर नहीं लिखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को खारिज फरमाते हुए प्रार्थी संख्या 3 पारस जैन के मालिकाना हक को टेंकर नंबर आर.जे. 27 जी.बी. 0606 उसमें भरे हुए 20,000 लीटर स्पेण्डल ऑयल को छोड़ा जाकर विपक्षी संख्या 3 को लौटाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी वाहन स्वामी की ओर से निवेदन किया गया कि न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 28.03.2022 से जब्तशुदा वाहन लोडिंग टैम्पों जिसके नंबर आर.जे. 27 जीबी 7875 को वाहन की बीमा राशि के समतुल्य Solvent Security एवं मुचलका वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत करने पर इस शर्त में छोड़ने के आदेश पारित किये जा चुके है अतः जब्त टेंकर जिसके पंजीयन संख्या आर.जे. 27 जी.बी. 0606 मय 20,000 लीटर को विपक्षीगण को सुपुर्द करने के आदेश फरमावे।

उभयपक्ष उपस्थित। सर्वप्रथम प्रार्थी वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना, सवीना से जब्त पदार्थ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। विपक्षी द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। विपक्षी का कथन है कि टेंकर नम्बर आर जे 27 जीबी 0606 व उसमें भरे हुए स्पेण्डल ऑयल है जो कि उद्योगो में काम आने वाला पदार्थ है जिसको विक्रय करने का कार्य नाकोडा ट्रेडर्स नाम फर्म से करता है। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है कि उक्त ऑयल की सप्लाई कंहा कंहा की जानी है अर्थात उक्त ऑयल का उपयोग कौनसी औद्योगिक फर्म करेगी यह सिद्ध नही कर पाया। विपक्षीगणों के बयानों से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा जब्त पदार्थ को डीजल बताकर बेचने खरीदने के रूप में किया जा रहा था। विपक्षी का

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर
प्र.सं.04/2021प्रा.पत्र रसद
सरकार बनाम कैलाश वैष्णव व अन्य
जी.सी.एम.एस. नंबरः 2021/115

कथन है कि जब्तशुदा स्पेण्डल ऑयल उद्योगो मे काम आने वाला पदार्थ है जिस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रावधान लागू नही होते। यह मान भी लिया जाए तो भी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवरण) आदेश, 2005 के खण्ड संख्या 3(5) अनुसार "कोई व्यक्ति, मोटर स्प्रिट या उच्च वेग डीजल या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य ईंधन से भिन्न कोई ऐसा उत्पाद या उसका मिश्रण, किसी रूप में किसी नाम, ब्रांड या नामपद्धति (Nomenclature) के अधीन विक्रय का करार नहीं करेगा जो स्फुलिंग प्रज्वलन इंजनों (spark ignitaon engines) या संपीडन प्रज्वलन इंजनों (compression ignition engines) वाले किसी प्रकार के मोटरगाडी यानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या उसके लिए आशयित है।"** यह स्पष्ट है कि उक्त जब्त माल का उपयोग डीजल के substitute (विकल्प) के रूप में बेचने खरीदने के रूप में प्रयोग किया जा रहा था जो कि मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवरण) आदेश, 2005 के खण्ड संख्या 3(5) का स्पष्ट उल्लंघन है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पदार्थ वर्ष 21.10.2020 को जब्त किया गया है तब से यह पुलिस थाने में जब्त है, 4 वर्ष पूर्व जब्त माल की गुणवत्ता में कमी होना स्वाभाविक है अतः इसका प्रयोग किया जाना भी न्यायालय उचित नही समझता है। अतः जब्त 20,000 लीटर पदार्थ राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है, साथ ही जब्त टेंकर आर.जे. 27 जी.बी. 0606 की बीमा राशि के समतुल्य हैसियत प्रमाण पत्र (Solvent Security) एवं जमानत मुचलका प्रस्तुत किये जाने पर वाहन रिलीज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जब्त 20,000 लीटर पदार्थ के निस्तारण हेतु जिला रसद अधिकारी (प्रथम) उदयपुर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जब्त पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करा रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम) उदयपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सवीना को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर